



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2017/ज्येष्ठ 22, 1939

No. 478]

NEW DELHI, MONDAY, , JUNE 12, 2017/JYAISTHA 22, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2017

सं. 23/2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 579(अ).— केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर की ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 17 मार्च, 2012 की सा.का.नि. सं. 185(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा शुल्क, में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं 333अ और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"333एफ	7225	निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्			
		i. हॉट रोल्ड कॉयल्स ;	5%	-	5
		ii. कोल्ड-रोल्ड मैग्नेसियम ऑक्साइड	5%	-	5
		कोटिड और एन्नील्ड स्टील;	5%	-	5
		iii. हॉट-रोल्ड एन्नील्ड और पीकल्ड कॉयल्स	5%	-	5

		iv. कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड, टैरिफ मद 72251100 के अंतर्गत आने वाले कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील के उत्पादन के लिए			
--	--	---	--	--	--

[फा. सं. 354/99/2017-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 20/2017-सीमा शुल्क, तारीख 16 मई, 2017 सा.का.नि. 474(अ), तारीख 16 मई, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2017

No.23/2017-Customs

G.S.R. 579(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide number* G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely :-

In the said notification, in the Table, after serial number 333E and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"333F	7225	The following goods, namely: - (i) hot rolled coils; (ii) cold-rolled Magnesium Oxide (MgO) coated and annealed steel; (iii) hot rolled annealed and pickled coils; (iv) cold rolled full hard, for the manufacture of cold rolled grain oriented steel (CRGO) steel falling under tariff item 7225 11 00	5% 5% 5% 5%	- - - -	5 5 5 5".

[F. No. 354/99/2017-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA Under Secy.

Note : The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended by notification No. 20/2017-Customs, dated the 16th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 474 (E), dated the 16th May, 2017.